दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 25-07-2025

भास्कर खास हाई कोर्ट ने कहा- वैध थी पॉलिसी, इसलिए परिजन को देना होगा मुआवजा

पहले दिन ही बाइक का पहिया जाम होने से हादसे में मौत, परिजन को मुआवजा देने का आदेश बरकरार

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

बाइक खरीदने के कुछ घंटों बाद ही पहिया जाम हो गया, इससे हुए सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मामला प्रस्तुत किया। अधिकरण ने परिजनों को 4.17 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। बीका कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच ने बीमा कंपनी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि बीमा पॉलिसी वैध थी, इस वजह से परिजन मुआवजे के हकदार हैं।

सूरजपुर निवासी देवचंद जायसवाल ने 25 अक्टूबर 2017 को नई बाइक खरीदी। उसी दिन वे अपने गांव महुली से जनपद पंचायत ओड़गी एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उनकी नई बाइक का पहिया जाम हो गया और वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे में देवचंद को सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मृतक देवचंद की पत्नी, बच्चे और परिजनों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-A के तहत दावा प्रस्तुत किया और 35.55 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। अधिकरण ने आंशिक रूप से दावा स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को 4 लाख 17 हजार 500 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए थे। इस आदेश को कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने कहा- राशि पहले ही जमा हो चुकी थी

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि वाहन की खरीदी और बीमा प्रीमियम का भुगतान उसी दिन सुबह 11.31 बजे कर दिया गया था। वाहन डीलर आनंद ऑटोमोबाइल्स बीमा कंपनी का अधिकृत एजेंट था और उसने राशि स्वीकार कर बीमा पॉलिसी उसी दिन जारी की। बीमा अधिनियम की धारा 64VB के अनुसार, जैसे ही प्रीमियम की राशि लेने के बाद बीमा प्रभावी माना जाता है।

बीमा कंपनी का तर्क- घटना के बाद हुई थी पॉलिसी

हाई कोर्ट में की गई अपील में बीमा कंपनी ने दलील दी कि दुर्घटना दोपहर 12.30 बजे हुई जबकि बीमा पॉलिसी उसी दिन शाम 4.52 बजे जारी हुई। इसलिए दुर्घटना के समय कोई बीमा प्रभावी नहीं था और दायित्व उस पर नहीं बनता।